प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

24-जनवरी-2016 15:17 IST

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में संशोधन

सरकार ने 5 नवंबर, 2015 को गोल्ड मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) लॉन्च की थी। इसके बाद ग्राहकों को भाग लेने के लिए योजना को आसान बनाने के लिए कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, सरकार के परामर्श से, आरबीआई ने 21 जनवरी, 2016 को जीएमएस पर एक मास्टर दिशा जारी की है, जो 22 अक्टूबर, 2015 को जीएसएम पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए मास्टर डायरेक्शन में संशोधन करता है। योजना में किए गए परिवर्तन नीचे दिए गए हैं: -

1) मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) के तहत समयपूर्व छूट, किसी भी मध्यम सावधि जमा को 3 साल के बाद वापस लेना होगा और 5 साल के बाद किसी भी दीर्घकालिक जमा की अनुमति होगी। ये देय ब्याज में कमी के अधीन होंगे।

2)। मध्यम और दीर्घकालिक स्वर्ण जमा पर बैंकों को उनकी सेवाओं अर्थात सोने शुद्धता परीक्षण शुल्क, परिष्करण, भंडारण और परिवहन शुल्क आदि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। प्रभावी रूप से बैंकों को इस योजना के लिए 2.5% कमीशन मिलेगा जिसमें संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र / रिफाइनर को देय शुल्क शामिल होंगे।

3)। गोल्ड जमाकर्ता केवल संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र (सीपीटीसी) के माध्यम से अपने सोने को रिफाइनर को सीधे दे सकते हैं। यह योजना में भाग लेने के लिए संस्थानों सहित थोक जमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा।

4) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने रिफाइनरों के लिए लाइसेंसिंग स्थिति में संशोधन किया है, जिनके पास पहले से ही तीन साल के परिष्कृत अनुभव से एक साल के परिष्कृत अनुभव से परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) मान्यता के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड है। यह लाइसेंस प्राप्त रिफाइनरों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

5) बीआईएस ने योजना में एक सीपीटीसी के रूप में कार्य करने के लिए 13,000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त ज्वैलर्स से आवेदन आमंत्रित करने वाली वेबसाइट पर अपनी अभिव्यक्ति ब्याज (ईओआई) प्रकाशित की है, बशर्ते उन्होंने बीआईएस के लाइसेंस प्राप्त रिफाइनरों के साथ समझौता किया हो।

6)। इस योजना के तहत एकत्रित सोने की मात्रा ग्राम के तीन दशमलव तक व्यक्त की जाएगी। यह उपभोक्ता को सोने के जमा के लिए बेहतर मूल्य देगा।

7)। सीपीटीसी / रिफाइनरियों के साथ जमा किया जाने वाला गोल्ड किसी भी शुद्धता का हो सकता है। सीपीटीसी / रिफाइनर सोने का परीक्षण करेगा और इसकी शुद्धता निर्धारित करेगा जिसका आधार होगा कि जमा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

8)। अल्पकालिक जमा के मामले में बैंक अपनी स्थिति को संभालने के लिए स्वतंत्र हैं।

9)। जीएमएस जमा के खिलाफ ऋण लेने के लिए ब्याज गणना और तंत्र की विधि जैसे मुद्दों को भी स्पष्ट किया गया है।

इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) बीआईएस लाइसेंस प्राप्त सीपीटीसी और बैंकों को रिफाइनर की सूची में संवाद करेगा। जमाकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, सरकार ने एआईआर और एफएम रेडियो में मीडिया अभियान जारी रखा था। प्रिंट मीडिया और मोबाइल एसएमएस अभियान भी शुरू किए जा रहे हैं। सरकार ने समर्पित वेबसाइट www.finmin.nic.in/swarnabharat और टोल फ्री नंबर 18001800000 भी लॉन्च किया है, जो योजनाओं की सारी जानकारी प्रदान करता है।

यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि जीएमएस के तहत कर छूट में सोने के जमा पर अर्जित ब्याज की छूट और व्यापार या रिडेम्प्शन के माध्यम से पूंजीगत लाभ से छूट शामिल है। यह भी दोहराया गया है कि 11 मई, 1 99 4 को सीबीडीटी निर्देश संख्या 1 9 16 के अनुसार, आईटी सर्च 132 के दौरान, 500 ग्राम प्रति विवाहित महिला की सीमा तक सोने के आभूषण, 250 ग्राम प्रति अविवाहित महिला और प्रति पुरुष 100 ग्राम परिवार के सदस्य को कर अधिकारियों द्वारा जब्त नहीं किया जाना चाहिए।

20.01.2016 तक, इस योजना के माध्यम से कुल 900.087 किलोग्राम सोने का जुड़ाव किया गया है।

यह उम्मीद की जाती है कि उपरोक्त संशोधन संभावित जमाकर्ताओं के लिए योजना को अधिक आकर्षक बना देंगे।

****

डीएसएम / एमएएम